न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 49/2023

प्रार्थी - 1 गिरधारी पुत्र वागाराम जाति जाट निवासी थोरियो की ढाणी नागाणा तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थी -

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ~~कल्याणपुर~~ पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम

उपस्थित - गोपाल कृष्ण चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक :–24.03.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 1183/1172 रकबा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम वाके राजस्व ग्राम पचपदरा, पटवार हल्का पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर मे आई हुई है । जिसमे प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है । उपरोक्त खसरा संख्या की जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 मे उपरोक्त खसरा संख्या 1183/1172 दर्ज रहा । जिसके बाद उपरोक्त भूमि मे से बेचान हो जाने के बाद जो नामन्तरकरण दर्ज किया गया उसके उपरान्त सहवन एवम त्रुटिवश एवम् लिपिकिय गलती से खसरा संख्या 1183/1172 के स्थान पर 1183/1192 इन्द्राज कर दिया गया जो अंकन अशुद्व है एवम् पेन मिस्टेक कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी से गलत अंकित हो गया है तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्व[illegible]2082 मे खसरा नंबर 1183/1172 के स्थान पर खसरा संख्[illegible] । जो अशुद्व है जबकि वास्तविक रूप से खसरा संख्या 1183/1172 है । उ[illegible]त त्रुटि को शुद्व किया जाना आवश्यक है। अन्थया अनावश्यक विवाद की संभवनाये उत्पन्न हो जायेगी इस हेतुक से प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियो से सम्पर्क किया तो उन्होने न्यायालय श्रीमान्

लगातार........(2)

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:16 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा ही शुद्व किया जाना बताया। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गांव पचपदरा के खसरा संख्या 1183/1192 को शुद्व किया जाकर खसरा संख्या 1183/1172 इन्द्राज किया जाने के सम्बन्ध में आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । विप्रार्थी सरकारी पैरोकार अनुपस्थित । तहसीलदार पचपदरा के पत्र कमाक/भू.अ/136/1085 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई । प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया तथा हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमे पाया गया कि मौजा पचपदरा के जमाबंदी संवत् 2079–2082 के खाता संख्या 240 खसरा संख्या 1183/1192 रकबा 0.1265 हैक्टेयर किस्म आवासीय मे गिरधारी राम पुत्र बागाराम हि0 61563/126500 जाति जाट सा. थोरियो की ढाणी खातेदार दर्ज है । ग्राम पचपदरा मे नामान्तरकरण संख्या 1402 बेचान का दायर करते वक्त त्रुटिवंश खसरा संख्या 1183/1172 के स्थान पर 1183/1192 दर्ज हो गया था। जिसको दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार पचपदरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट की अभिशंषानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम पचपदरा पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के जमाबंदी सवंत् 2079–2082 जमाबदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी, खाता संख्या नया 240 मे **लिपिकिय त्रुटिवंश अंकित खेत खसरा संख्या 1183/1192 के स्थान पर 1183/1172 राजस्व अभिलेख मे अंकित करने का आदेश दिया जाता है ।**

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:16 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 24.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा